न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आइ0ए0एस0

विविध आवेदन सं. 15/2019

प्रार्थी–
उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि
अधिकारी (पौ.सं.) कार्यालय
सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार)
बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण–
1. मैसर्स फ्रक्सन एग्रो प्राईवेट लिमिटेड, रीको क्षेत्र के पास, अलवर रोड़, बहरोड़, जिला अलवर (राज.)
2. श्री छगनलाल पुत्र श्री दिलीपराम निवासी कलाना, मैनेजर, मैसर्स फ्रक्सन एग्रो प्राईवेट लिमिटेड, रीको क्षेत्र के पास, अलवर रोड़, बहरोड़, जिला अलवर (राज.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–
1. अभियोजन अधिकारी, प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

आदेश

दिनांक : 12.07.2021

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना–पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 07.09.2017 को प्रार्थी द्वारा श्री जलाल खां पुत्र समीसा खां जाति मुसलमान निवासी सालारिया तहसील सेडवा जिला बाड़मेर की शिकायत पर मुख्यालय सेडवा पर निरीक्षण के दौरान दो ट्रक RJ23G 3013 एवं RJ22GA 0939 को रूकवाकर जांच की तो मैसर्स फ्रक्सन एग्रो प्राईवेट लिमिटेड, रीको क्षेत्र के पास, अलवर रोड़, बहरोड़, जिला अलवर से निर्मित ग्रीन बेल्ट (सॉयल कन्डीशनर) के 637 बैग (प्रत्येक बैग 50 किग्रा पैकिंग) एवं ह्यूमिक एसिड की 330 बोतल (प्रत्येक बोतल 1 लीटर पैकिंग) पाये गये जिनको मैसर्स फ्रक्सन एग्रो प्राईवेट लिमिटेड, रीको क्षेत्र के पास, अलवर रोड़, बहरोड़, जिला अलवर के कार्मिक छगनलाल पुत्र दिलीपराम निवासी कलाना फील्ड में किसानों को अधिक पैदावार का झांसा देकर [illegible] लेता पाया गया। कृषक श्री जलाल खां पुत्र श्री समीसा खां, नियामतुल्ला पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.07.26 18:14:58 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

कयूम खां निवासी ढेबा, तसहील सेडवा, श्रीराम बिश्नोई एवं मौके पर उपस्थित अन्य कृषकों ने बताया कि उक्त मैनेजर हमारे बेरे या घर पर आकर 300/– एडवांस लेकर गया था तथा शेष राशि खाद डिलीवरी के समय देने हेतु कहा गया था। मैसर्स फ्रक्सन एग्रो प्राईवेट लिमिटेड, रीको क्षेत्र के पास, अलवर रोड़, बहरोड़, जिला अलवर के टीम मैनेजर छगनलाल से डीएपी के नाम से बेचे जा रहे खाद के बेचान हेतु अनुज्ञा पत्र के बारे में पूछने पर उपलब्ध नहीं कराया। डीएपी के नाम से बेचे जा रहे उक्त खाद ग्रीन बेल्ट की गुणवत्ता की जांच हेतु नमूना आहरित कर मौके पर ही मौका परचा, प्रपत्र क एवं प्रपत्र पी तैयार किये गये। मैसर्स फ्रक्सन एग्रो प्राईवेट लिमिटेड, रीको क्षेत्र के पास, अलवर रोड़, बहरोड़, जिला अलवर द्वारा जैविक खाद का बिना अनुज्ञा पत्र भण्डारण एवं विक्रय कर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के क्लॉज 7, 14 एवं 15 का उल्लंघन किया गया है। मौके पर ग्रीन बेल्ट (सॉयल कन्डीशनर) के 637 बैग (प्रत्येक बैग 50 किग्रा पैकिंग) एवं ह्यूमिक एसिड की 330 बोतल (प्रति बोतल 1 लीटर पैकिंग) जब्त किये जाकर मौका नक्शा एवं फर्द जब्ती तैयार की जाकर गवाहों के हस्ताक्षर कराये गये। जब्तशुदा उर्वरक मैसर्स पटेल कृषि सेवा केन्द्र, सेडवा जिला बाड़मेर की अभिरक्षा में सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द किया गया। मौके से प्राप्त उर्वरक के नमूना की जांच राजकीय उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला पावटा जोधपुर से करवाई गई जिनके द्वारा अवगत कराया गया कि उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 में ग्रीन बेल्ट या सोयल कण्डिश्नर के नाम से कोई उर्वरक नहीं होने से उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत जॉच नहीं की जा सकती। जब्त किये गए उर्वरक की प्रयोगशाला जॉच उपरान्त राजकीय उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला पावटा जोधपुर द्वारा रिपोर्ट क्रमांक 751 दिनांक 28.12.2017 उपलब्ध करवाई गई जिसमें अंकित किया हैं कि उक्त दोनो नमूने उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के शेड्युल पार्ट–1 (specification of fertilizer) में अंकित नहीं हैं किन्तु जलाल खान द्वारा भेजे गये नमूने की रिपोर्ट में 2.24 प्रतिशत नाइट्रोजन तथा 01.07 प्रतिशत फास्फोरस पाई गई जिससे उर्वरक होने की पुष्टि हुई है। अप्रार्थीगण को उक्त नमूना जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर जरिये पत्र दिनांक 07.09.2017 के द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया ग[illegible] फ्रक्सन एग्रो प्राईवेट लिमिटेड, रीको क्षेत्र के पास, अलवर [illegible] बह[illegible], जिला अलवर की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं [illegible] मैसर्स फ्रक्सन एग्रो प्राईवेट लिमिटेड, रीको क्षेत्र के पास, अलवर रोड़, बहरोड़, जिला अलवर के विरूद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के क्लॉज 7, 14 व 15 एवं आवश्यक

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.07.26 18:14:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत पुलिस थाना सेड़वा में प्राथमिकी संख्या 93/2017 दिनांक 07.09.2017 दर्ज करवाई गई। अप्रार्थी संख्या 1 मैसर्स फ्रक्सन एग्रो प्राईवेट लिमिटेड, रीको क्षेत्र के पास, अलवर रोड़, बहरोड़, जिला अलवर के कार्मिकों द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के क्लॉज 7, 14 व 15 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 का उल्लंघन किया गया है। अतः उपरोक्त वर्णित उर्वरक को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत राजसात किये जाने का आदेश फरमावें।

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। दौरान सुनवाई प्रकरण मे जब्तशुदा उर्वरक का अन्तरीम निस्तारण हेतु उपनिदेशक कृषि (विस्तार) बाड़मेर, उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (पौध संरक्षण) बाड़मेर एवं कोषाधिकारी बाड़मेर की कमेटी का गठन किया जाकर आदेशित किया गया कि जब्तशुदा उर्वरक का यथेचित मूल्य का आंकलन कर उभय पक्ष की उपस्थिति में निस्तारण किया जावे एवं प्राप्त राशि राजकोष में अमानत मद में जमा कराई जावे।

3. अप्रार्थी सं. 1 व 2 की तलबी हेतु पंजीबद्ध डाक द्वारा नोटिस भिजवाये गये। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से प्रकरण में एकपक्षीय अन्तिम बहस सुनी गई।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अभियोजन अधिकारी को सुना। प्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी ने प्रकट किया कि अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से उर्वरक भण्डारण एवं विक्रय किये जाने का कोई वैध लाईसेंस न तो वक्त मौका निरीक्षण प्रस्तुत किया गया और न ही जांच कार्यवाई के दौरान एवं इस प्रार्थना-पत्र के प्रतिरक्षण में प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के क्लॉज 7, 14 एवं 15 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 का उल्लंघन किया गया है। अतः उपरोक्त वर्णित उर्वरक को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत राजसात किये जाने का आदेश फरमावें। दौरान सुनवाई प्रार्थी की ओर से निवेदन किया गया कि [illegible] के परिसर में रखी गई है तथा अनावश्यक किराया भार को [illegible] सामग्री का अन्तरीम रूप से निस्तारण किये जाने का [illegible] अप्रार्थी से जब्त सामग्री को अन्तरीम निस्तारण करने हेतु मूल्य का आंकलन करने हेतु उपनिदेशक कृषि (विस्तार) बाड़मेर, उर्वरक निरीक्षण [illegible] कृषि अधिकारी (पौध संरक्षण) बाड़मेर एवं कोषाधिकारी, बाड़मेर की कमेटी का गठन किया जाकर सामग्री

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.07.26 18:14:58 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

का यथेचित मूल्य आंकलन कर उभय पक्षकारान की उपस्थिति में निस्तारण कर प्राप्त राशि राजकोष में अमानत मद में जमा कराने के निर्देश प्रदान किये गये। इसके अनुसरण में कमेटी द्वारा दिनांक 04.02.2021 को बैठक आयोजित की गई तथा बैठक में यह निर्णय किया गया कि जब्त सामग्री जो कि उर्वरक के नाम से विक्रय की जा रही थी उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के शेड्यूल 1 के अनुसार अधिसूचित उर्वरक नहीं है, इसके फलस्वरूप इसकी दर निर्धारण एवं विक्रय किया जाना संभव नहीं है। जब्तशुदा गैर–अधिसूचित सामग्री का कमेटी की उपस्थिति में नष्ट कर जमींदोज कर ही निस्तारण किया जा सकता है तथा कमेटी द्वारा इस हेतु गैर–अधिसूचित सामग्री को नष्ट कर जमींदोज कर निस्तारण की अनुमति चाही गई। इस संबंध में उर्वरक प्रयोगशाला राजकीय उर्वरक गुणवत्ता परीक्षण, जोधपुर द्वारा शिकायतकर्ता जलाल खां की ओर से कराये गये नमूना परीक्षण में नाईट्रोजन 2.24 प्रतिशत तथा फास्फोरस 1.07 प्रतिशत होना बताया है अर्थात उक्त जब्तशुदा उर्वरक शेड्यूल के अन्तर्गत नहीं आता है और न ही उसकी मानकता पूरी करता है किन्तु उसे उर्वरक के रूप में विक्रय किया जा रहा था। इस हेतु जो आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया गया है उसमें ही उचित निर्णय सक्षम न्यायालय द्वारा किया जा सकेगा। अप्रार्थीण द्वारा उर्वरक के भण्डारण एवं विक्रय का वैध लाईसेंस लिये बिना ही जो जब्तशुदा सामग्री विक्रय की जा रही थी वह उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के क्लॉज 7, 14 व 15 का उल्लंघन है एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 का भी उल्लंघन है। इसके जवाब मे अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब एवं प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं किया जिससे प्रकट होता है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के तथ्य उनकी ओर से स्वीकृत हैं तथा प्रकरण में मौन रहना भी अपराध की स्वीकारोक्ति है। ऐसे में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अप्रार्थीगण की स्वीकारोक्ति मानते हुए कोई अतिरिक्त साक्ष्य / गवाहान की आवश्यकता प्रतीत नहीं होने एवं मौन स्वीकृति को सर्वोत्तम साक्ष्य मानते हुए प्रार्थी का यह प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं विधि सम्मत प्रतीत होता है।

5. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर दो ट्रक RJ23G 3013 एवं RJ22GA 0939 से [illegible] फ्रक्सन एग्रो प्राईवेट लिमिटेड, रीको क्षेत्र के पास, अलवर [illegible] से निर्मित ग्रीन बेल्ट (सॉयल कन्डीशनर) के 637 [illegible] 50 किग्रा पैकिंग) एवं ह्यूमिक एसिड की 330 बोतल (प्रति बोतल 1 [illegible]र पैकिंग) जो अप्रार्थी संख्या 1 मैसर्स फ्रक्सन एग्रो प्राईवेट लिमिटेड, रीको क्षेत्र के पास, अलवर रोड़,

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.07.26 18:14:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

बहरोड़, जिला अलवर द्वारा निर्मित को बिना वैध अनुज्ञा पत्र भण्डारण एवं विक्रय किया जाना उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के क्लॉज 7, 14 व 15 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 का उल्लंघन होने से धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। यद्यपि प्रकरण में जब्तशुदा सामग्री प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट अनुसार उर्वरक की श्रेणी में रखी गई है ऐसे में निर्धारित शेड्यूल की मानकता पूरी नहीं होने पर भी विक्रय का प्रयास किया जाकर विक्रय द्वारा जो राशि प्राप्त होने की संभावना हो इस न्यायालय के आदेश दिनांक 16.08.2019 के अनुसरण में निर्देशानुसार निस्तारण किया जाकर प्राप्त होने वाली राशि को राज्य कोष मे नियत मद मे जमा कराई जावें।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

6. आदेश आज दिनांक 12.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Lok

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.07.26 18:14:58 IST
Reason: SelfAttested